न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 281/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/447

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.दिलीपसिंह पुत्र लालसिंह 2.गुलाबसिंह पुत्र लालसिंह 3.महेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह 4.जमना कंवर पत्नि लालसिंह जाति राजपूत निवासी सांभरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.मानाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा 2.चौथाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय
3.विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 10/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 243/129 रकबा 30 बीघा अवस्थित है। प्रार्थीगण का मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से तरमीम शुद्वि का आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया गया। जो बाद सुनवाई प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित हुई। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की तरमीम गलत दर्ज की गई। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 09.7.2024 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 129 में कुल रकबा 30 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी लालसिंह पुत्र उदयसिंह को कृषि भूमि आवंटन की गई थी तथा बाद आवंटन प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम खातेदारी दर्ज किए जाने पर खसरा संख्या 243/129 रकबा 30 बीघा कायम हुए। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के देहांत के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई। वक्त आवंटन से प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी एवं बाद में प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का मौके पर कब्जा काश्त स्थिति के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को विप्रार्थी की भूमि में दर्शित करते हुए अशुद्ध तरमीम की गई। जिसका प्रार्थीगण को ज्ञान होने पर उन द्वारा तरमीम शुद्धि का आवेदन न्यायालय श्री में पेश किया गया तथा बाद सुनवाई प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए गए,लेकिन उक्त प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 24.2.2022 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त स्थिति के विपरीत तैयार की गई थी। इस कारण प्रार्थीगण की खेत की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर श्रीमान जिला कलक्टर बालोतरा को प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 09.7.2024 को मौका रिपोर्ट पेश की गई थी। उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण की मौका कब्जा काश्त की वास्तविक स्थिति अनुसार सही बनाई गई है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 09.7.2024 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश किए जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा में विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्ती किए जाने का आवेदन पेश किए जाने पर मुकदमा संख्या 252/2021 अनवान दिलीपसिंह बनाम मानाराम वगैरा दर्ज होकर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 02.5.2022 के द्वारा तरमीम शुद्वि करने का आदेश पारित हुआ। प्रार्थीगण का बहस में मुख्य तर्क है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की तरमीम शुद्वि रिपोर्ट मौका स्थिति से भिन्न जाकर तैयार किए जाने के कारण विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत की गई है। उक्त तर्क का समर्थन भू अभिलेख निरीक्षक साजियाली की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.5.2024 की छायाप्रति अवलोकन से होता है कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम मौका एवं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रेकर्ड स्थिति में भिन्नता है। लेकिन प्रार्थीगण के खसरान के साथ सेढा पड़ौसी खसरान की भी तरमीम प्रभावित होगी। इस कारण न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित रहेगा।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व आवेदन संख्या 252/2021 अनवान दिलीपसिंह बनाम मानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.5.2022 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी का आप स्वंय मौका मुआयना करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मौका एवं रेकर्ड स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10/03/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

10/3/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा